राजस्थान सरकार
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग

जिले में किसी भी उचित मूल्य दुकान से राशन लेने की सुविधा

- आप अपनी रजिस्टर्ड उचित मूल्य दुकान से प्रति माह पात्रतानुसार खाद्यान्न प्राप्त करते हैं।
- यदि आप मजदूरी, कारोबार, शिक्षा अथवा अन्य किसी भी पारिवारिक कारण से अपने मूल निवास स्थान के बजाय जिले में अन्यत्र रहते हों तो भी अस्थाई निवास के गाँव, पंचायत या तहसील की किसी भी उचित मूल्य दुकान से सुविधानुसार राशन ले सकते हैं।
- जिले में कहीं से भी राशन प्राप्त करने के लिए आपको निम्न कार्यवाही करनी होगी–
    - ➢ अपने राशन कार्ड के साथ आधार कार्ड को रजिस्टर करावें।
    - ➢ आपका आधार कार्ड ना बना हो तो भी जिले के भीतर किसी भी उचित मूल्य दुकान से खाद्य सुरक्षा प्राप्त कर सकते हैं।
    - ➢ अगर आधार नहीं है या आधार होने पर भी फिंगर प्रिंट पॉस मशीन द्वारा स्वीकार नहीं किए जा रहे हों अपने उचित मूल्य दुकानदार से कहें कि–
        - ✓ राशन डीलर भामाशाह में पंजीकृत आपके मोबाईल नं. पर OTP (One Time Password) मंगवाकर अपनी पहचान सुनिश्चित करें।
        - ✓ यदि आपका अथवा आपके परिवार के किसी सदस्य का मोबाईल नं. भामाशाह में रजिस्टर्ड नहीं है तो प्राधिकृत अधिकारी के कार्यालय में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना का प्रमाण एक बार प्रस्तुत कर बायपास सिस्टम द्वारा राशन सामग्री प्राप्त करें।
        - ✓ आपके तहसील के उपखण्ड अधिकारी, विकास अधिकारी, जिला रसद अधिकारी, प्रवर्तन अधिकारी, प्रवर्तन निरीक्षक एवं अधिशाषी अधिकारी (नगरपालिका) आदि प्राधिकृत अधिकारी है।
        - ✓ यदि उचित मूल्य की दुकान पर आईरिस स्कैनर उपलब्ध हो तो आखों की पुतलियों द्वारा वेरिफिकेशन करवाकर भी राशन ले सकते हैं।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा जनहित में जारी